न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/431
दायरा तिथि : 17.07.2025
आदेश तिथि : 28-01-26

प्रार्थी :–
भीखाराम पुत्र सवाराम जाति गरासिया निवासी नाना तह बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. कमूरी देवी पत्नि विरमाराम
2. पुनी देवी पत्नि भूताराम
3. सकुदेवी पत्नि चतराराम जातिगण भील निवासीगण नाना तहसील बाली
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थिति:–
श्री महिपालसिंह सादडा................अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अनुपस्थित।
नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 28-01-26

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2065 रकबा 0.3900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2074 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नंबर 2075 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2086 रकबा 1.72 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम नाना पटवारी हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2066 रकबा 0.55 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण में निरीक्षक भू–अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/3442 दिनांक 05.12.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2074	0.4900 है.	गै.मु. मगरा	104X09=936 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	2075	0.2300 है.	बारानी दोयम	66X09=594 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	2086	1.7200 है.	गै.मु. मगरा	121X09=1089 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	2066	0.5000 है.	बारानी दोयम	96X09=576 वर्गमीटर	कमुरी देवी पत्नि विरमाराम हिस्सा 1/4 जाति भील वगैराह सा. देह खातेदार

5. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 210800/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/431

अनवान भीखाराम बनाम कयूरी देवी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2065 रकबा 0.3900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपनी रिपोर्ट में 9 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है। एक किसान को अपनी कृषि जोत तक पहुंचने तथा कृषि संयंत्र, ट्रेक्टर, ट्रॉली व अन्य साधन लाने ले जाने के लिये 5 मीटर चौडा रास्ता पर्याप्त होता है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/3442 दिनांक 05.12.2025 में वर्णित रूट से आवेदक को 5 मीटर चौडा रास्ता ही उपलब्ध कराया' जाना न्याय संगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2065 रकबा 0.3900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2074 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नंबर 2075 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2086 रकबा 1.72 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम नाना पटवारी हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2066 रकबा 0.55 हैक्टर में से **520+330+605+480=1935 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,10,800/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2074	0.4900 है.	104X05=520 वर्गमीटर	22	11440X2=22880	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2075	0.2300 है.	66X05=330 वर्गमीटर	22	7260X2=14520	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2086	1.7200 है.	121X05=605 वर्गमीटर	22	13310X2=26620	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2066	0.5000 है.	96X05=480 वर्गमीटर	22	10560X2=21120	1. कयूरी देवी पत्नि विरमाराम हि0 1/4 2. पुनी देवी पत्नि भूताराम हि0 1/2 3. सकुदेवी पत्नि चतराराम हि0 1/4 जातिगण भील निवासीगण नाना तहसील बाली
		कुल 1935 वर्गमीटर		कुल राशि 85140/– रूपये	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 85140/– (अक्षरे पिचासी हजार एक सौ चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/431

अनवान भीखाराम बनाम कमूरी देवी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

दिनांक : 30-01-26

क्रमांक/कोर्ट/2026/156-160

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, नाना
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक भीखाराम पुत्र सवाराम जाति गरासिया निवासी नाना तह बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

भीखाराम बनाम राजस्थान सरकार

नकल नक्शा (किश्तवार) A से B प्रस्तावित नया रास्ता

ग्राम – नाना

तह – बाली

जिला – पाली

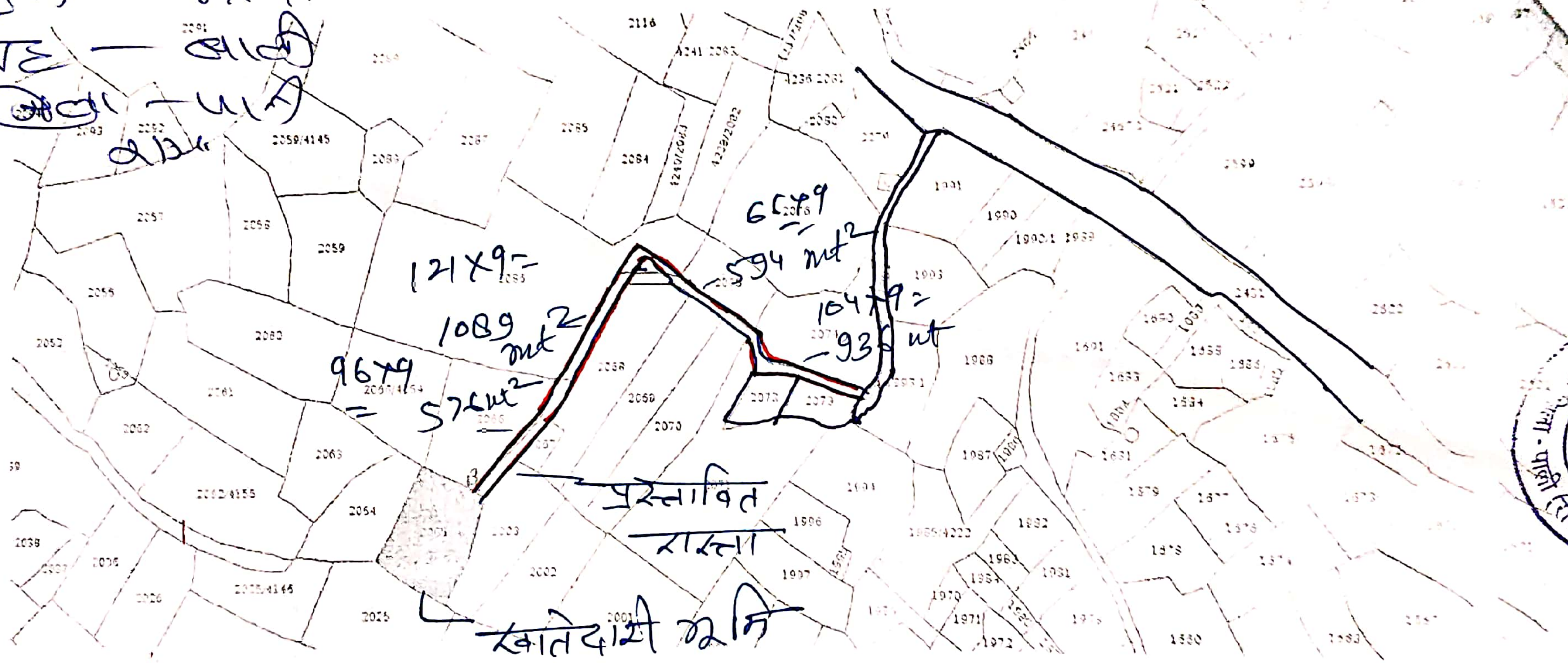

पटवारी

तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी जिला - पाली (राज.)